

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 अगस्त 2011—श्रावण 20, शक 1933

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ. 2(अ)79-2011-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु. क्र.	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
				सीधी भरती द्वारा नियम 6(1)(क) देखिए	सेवा में कार्यरत सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, नियम 6(1)(ख) देखिए	अन्य सेवाओं के अस्थायी स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियम 6(1) (ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1.	गृह (पुलिस) विभाग मध्यप्रदेश पुलिस (अराजपत्रित सेवा)	निरीक्षक/ रक्षित निरीक्षक	1009/ 79	-	100 प्रतिशत	-
----	--	------------------------------	-------------	---	-------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	गृह (पुलिस) विभाग मध्यप्रदेश पुलिस (अराजपत्रित सेवा)	कंपनी कमांडर	229	-	97 प्रतिशत	3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अनुपलब्धता की स्थिति में पदोन्नति द्वारा)
3.	-	सूबेदार	72	100 प्रतिशत	-	-
4.	-	उप निरीक्षक (महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए)	2696	50 प्रतिशत (1348)	50 प्रतिशत (1348)	-
5.	-	उप निरीक्षक (रेडियो तकनीशियन)	125	50 प्रतिशत (63)	50 प्रतिशत (62)	-
6.	-	उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)	29	100 प्रतिशत	-	-
7.	-	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	06	100 प्रतिशत	-	-
8.	-	प्लाटून कमांडर	707	40 प्रतिशत (283)	60 प्रतिशत (424)	-
9.	-	सहायक उप निरीक्षक	3304	-	100 प्रतिशत (80 प्रतिशत प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक की विभागीय परीक्षा से तथा 20 प्रतिशत अच्छे अभिलेख और 15 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर).	-

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

सेवा का नाम	अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा	1	सूबेदार	18	28	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा	2	उप निरीक्षक (महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए)	18	28	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.	-
—''—	3	उप निरीक्षक (रेडियो तकनीशियन)	18	28	शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रीकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम.	-
—''—	4	उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)	18	28	शासन द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक या उसके समकक्ष.	-
—''—	5	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	18	28	—''—	
—''—	7	प्लाटून कमाण्डर	18	28	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष	

टिप्पणी— एन.सी.सी. "सी" प्रमाण-पत्र धारक और एल.एल.बी. की डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्रत्येक के लिये 5 अंक बोनस के दिये जायेंगे.

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.

1. किसी संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रीकल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो.
2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से इन विषयों में से किसी एक में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.
3. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ-2-(अ)79-2011-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 11 अगस्त, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव

Bhopal, the 11th August 2011

No. 2(a) 79-2011-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-gazetted) Services Recruitment Rules, 1997, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

For Schedule II and III, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of Department	Name of Posts included in the service	Total Number of Duty Posts	Percentage of number of posts to be filled		
				By direct recruitment see rule 6(1) (a)	By promotion of working members of service see rule 6(1)(b)	From other Services by temporary transfer of by deputation see rule 6(1) (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Home (Police) Department Madhya Pradesh Police (Non Gezzetted service)	Inspector/ Reserve Inspector	1009/79	-	100%	-
2.	—”—	Company Commander	229	-	97%	3% By deputation (By promotion when not available).
3.	—”—	Subedar	72	100%	-	-
4.	—”—	Sub-Inspector (Including Woman Sub-Inspector)	2696	50% (1348)	50% (1348)	-
5.	—”—	Sub-Inspector (Radio) Technician	125	50% (63)	50% (62)	-
6.	—”—	Sub-Inspector (Finger Print)	29	100%	-	-
7.	—”—	Sub-Inspector (Questioned Documents)	06	100%	-	-
8.	—”—	Platoon Commander	707	40% (283)	60% (424)	-
9.	—”—	Assistant sub Inspector	3304	-	100%	-

Note (80% from Head Constable to Assistant Sub Inspector Departmental Examination and 20% on completion of 15 years over all service and Good record.)

SCHEDULE III
(See Rule 8)

Age and qualification of persons for direct recruitment

Name of Service	S. No.	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualification Prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Madhya Pradesh Police Executive (Non Gezatted service)	Subedar	18	28	Bachelors Degree or its equivalent from any recognised University	-
2	-	Sub-Inspector (Including Woman Sub-Inspector)	18	28	—do—	-
3	-	Sub-Inspector (Radio Technician)	18	28	3 years Diploma Course from any Institution/ University in Electronic/ Electrical/Tele Communication Engineering recognised by Government.	-
4	-	Sub-Inspector (Finger Print)	18	28	Bachelors Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its Equivalent from any University recognised by the Government.	-
5	-	Sub-Inspector (questioned Documents)	18	28	—do—	-
6	-	Platoon Commander	18	28	Bachelors Degree or its Equivalent from any recognised University.	-

Note:—Holders of NCC "C" certificate and candidates with L.L.B. Degree shall be given bonus 5 marks for each.

A Bachelor's Degree from any University recognised by the Government or its equivalent.

- (1) Three years Diploma course from any Institution or University in Electronic/Electrical or Tele-communication Engineering which is recognised by the Government of India or the State Government.
- (2) A Bachelor's Degree in any of these subjects or its equivalent from any university recognised by Government.
- (3) A Bachelor's Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its equivalent from any University recognised by the Government. A Bachelor's Degree or its equivalent from any University recognised by Government."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ALOK RANJAN, Secy.